आदेश की क्रमांक और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
1	2	3
19.7.2022	**नामांतरण अपील वाद संख्या 01/2019–20** उपेन्द्र दास बनाम् अंचल अधिकारी, खरौंधी **आदेश** अभिलेख अंतिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, खरौंधी के नामांतरण वाद संख्या 6R27/2017–18 में दिनांक 27.03.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील आवेदन पत्र दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना, अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुये संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी से मूल अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। अपीलार्थी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किए एवं अंचल अधिकारी, खरौंधी से मूल अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। **अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि** :– 01 अंचल अधिकारी खरौन्धी द्वारा नामान्तरण 6R27/2017–18 में दुर्भावना से ग्रसित होकर अपीलार्थी का नामान्तरण आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया है जबकि उक्त अभिलेख में किसी व्यक्ति/रैयत के द्वारा आपति नही की गई थी। 02 अपीलार्थी के द्वारा इसके पूर्व नामान्तरण हेतु आवेदन दिया गया था जिसमें अंचल कार्यालय की लापरवाही से विक्रेता एवं क्रेता में एक ही व्यक्ति का नाम प्रविष्ट किया गया था इसलिए कारवाई समाप्त हो गई थी। 03 वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत भूमि अशोक सिंह की थी जिनसे संजय कुमार साव ने केवाला संख्या 5075 दिनांक 29.10.1998 से खाता संख्या 223/567 प्लॉट संख्या 297/3699 रकबा 1¼ डीसमील भूमि खरीद किये थे। उक्त भूमि को संजय कुमार साव ने केवाला सेख्या 332 दिनांक 28.03.2017 को अपीलार्थी के हाथों बिक्री कर दिये। जिसमें खपडैल मकान था एवं संजय कुमार साव के नाम मांग पंजी II के पृष्ठ संख्या 156/3 पर मांग चलता है। खरीदगी के पश्चात् अपीलार्थी उक्त भूमि के दखलकार है। 04 अंचल अधिकारी के द्वारा या हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक किसी के द्वारा कोई जॉच नही किया गया और न ही अपीलार्थी को सुना गया। लगातार	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रमांक संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

केवल यह दर्शाते हुए कि पूर्व में आवेदन खारिज कर दिया गया है इसलिए उक्त नामान्तरण आवेदन खारिज किया जाता है, ऐसा आदेश पारित कर दिया गया है।

अंचल अधिकारी खरौन्धी के द्वारा बिना अपीलार्थी के कागजात को समझे एवं बिना स्थल के जॉच किये अपीलार्थी का नामांतरण आवेदन खारिज कर दिया है तथा अपीलार्थी के नामांतरण आवेदन के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति नहीं की गई है उसके बावजूद अंचल अधिकारी ने अपीलार्थी का नामान्तरण आवेदन खारिज कर दिया है जो विधि सम्मत नहीं है।

अपीलार्थी के द्वारा नामान्तरण अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी खरौंधी के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 6R27/2017–18 में दिनांक 27.03.2018 को पारित आदेश को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, खरौंधी के द्वारा पत्रांक 61 दिनांक 27.02.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा ऑनलाईन नामान्तरण वाद संख्या 06/2017–2018 में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मंतव्य दिया गया कि आवेदक द्वारा आवेदन के साथ दिए केवाला नं0–332 दिनांक 28.03.2017 को पूर्व में केस नं0 1R27/2017–2018 में अस्वीकृत किया जा चुका है, आवेदक को उपसमाहर्ता भूमि सुधार नगर उंटारी के पास अपील में जाना चाहिए। अतः नामान्तरण आवेदन अस्वीकृत की जाती है। अंचल अधिकारी खरौंधी के द्वारा पत्रांक 89 दिनांक 13.03.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नामांतरण वाद सं0 1R27/2017–2018 एवं 6R27/2017–2018 में पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थी उपेन्द्र दास पिता अलख दास ग्राम+पोस्ट+थाना खरौंधी के अपील आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण मुकदमा सं0 1R27/2017–2018 खरौंधी को अस्वीकृत कर दिया गया है। उक्त प्रतिवेदन में अंचल निरीक्षक द्वारा मंतव्य दिया गया है जिसमें ऑनलाईन आवेदन प्रविष्टि में विक्रेता एवं मौजा गलत दर्ज है तथा खरीदगी भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा नहीं है। साथ ही ऑनलाईन आवेदन प्रविष्टि में क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही व्यक्ति है।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

टिप्पणी क्रमांक संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
1	2	3

अतः नामांतरण मुकदमा सं0 1R27/2017–2018 को अस्वीकृत करने हेतु राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का अनुशंसा प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। एवं अंचल अधिकारी खरौंधी के द्वारा पत्रांक 226 दिनांक 07.08.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नामांतरण अपील वाद सं0 6R27/2017–2018 मौजा खरौंधी खाता सं0 567 प्लॉट सं0 3699 रकबा 1.25डी0 भूमि से संबंधित गत एवं हाल सर्वे खतियान का सम्पूर्ण प्रतिवेदन की मांग राजस्व उप निरीक्षक से की गई जो प्राप्त है। संलग्न कागजात निम्न प्रकार है :–

01 आदेश की छायाप्रति .... 1 फर्द
02 ऑनलाईन मांगपंजी II नामे अशोक सिंह की छायाप्रति .... 1 फर्द
03 हाल सर्वे के खतियान की छायाप्रति .... 1 फर्द

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील आवेदन पत्र एवं अभिलेख में संलग्न कागजात तथा अंचल अधिकारी, खरौंधी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोंपरान्त पाया कि प्रश्नगत् भूमि का अपीलार्थी/क्रेता ने केवाला सं0 332 दिनांक 28.03.2017 के द्वारा विक्रेता संजय कुमार साव पिता मानीकचन्द साव जाति मधेशिया हलुवाई ग्राम मझिगावां पोस्ट अमरोरा थाना खरौंधी से क्रय किया है। क्रेता/विक्रेता संजय कुमार साव ने केवाला सं0 5075 दिनांक 29.10.1998 से विक्रेता अशोक सिंह पिता रूद्र प्रताप नारायण सिंह जाति जायसवाल ग्राम+पोस्ट+थाना खरौंधी से प्रश्नगत् भूमि क्रय किये है विक्रेता ने दाखिल खारिज कराकर गत सर्वे के मांगपंजी II के पृष्ट सं0 156/III पर संजय कुमार साव के नाम से मांग संधारित होकर गत सर्वे के लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत है।

प्रश्नगत् भूमि का हाल सर्वे खतियान, खतियानी रैयत पूर्व विक्रेता अशोक सिंह के पिता रूद्र प्रताप नारायण सिंह के नाम से बना है जो ऑनलाईन मांगपंजी II पर दर्ज है। इसी पंजी II से घटकर ऑनलाईन मांगपंजी II के पृष्ट सं0 41 भाग सं0 2 पर नामांतरण वाद सं0 49/2020–21 के द्वारा पूर्व विक्रेता अशोक सिंह के नाम से प्लॉट सं0 3699 में रकबा 1.12डीसमील भूमि कायम है।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रमांक संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	प्रश्नगत् भूमि पर किसी अन्य रैयत/व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराया गया है। वाद की भूमि के विक्रेता अशोक सिंह को प्रश्नगत् भूमि पर Right Title एवं Possession प्राप्त था। क्रेता/विक्रेता संजय कुमार साव को Right Title एवं Possession प्राप्त हुआ। पुनः क्रेता उपेन्द्र दास को Right Title एवं Possession प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी अपने नाम नामांतरण कराने के Entitle है। अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, खरौंधी के नामांतरण वाद सं0 6R27/2017-18 में दिनांक 27.03.2018 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, खरौंधी को अनुपालन हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित । 19/VII भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर। 19/VII भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.14 13:18:59 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner